भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का
विधायी निरुपण

2015

विषय-वस्तु

अध्याय 1..... 3

1. **पृष्ठभूमि**..... 3
2. **संगठनात्मक गठन**..... 3
3. **कृत्य**..... 4
   - 3.4 राजभाषा खंड..... 6
   - 3.5 विधि साहित्य प्रकाशन..... 6
4. **विधान**..... 6
5. **विधायी प्रारुपण में प्रशिक्षण**..... 8
   - 5.2 वि.प्रा.अ.सं. को आईएसओ प्रमाणन..... 8
   - 5.3 वि.प्रा.अ.सं. द्वारा संचालित पाठ्यक्रम..... 8
6. **निर्वाचन**..... 9
7. **हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार**..... 11

अध्याय 2..... 13

8. **विधायी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**..... 13
   - 8.1 संसद् द्वारा अधिनियमित विधेयक..... 13
   - 8.2 संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश..... 14
   - 8.3 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए अध्यादेश..... 14
   - 8.4 संसद् में लंबित विधेयक..... 15
   - 8.5 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए अध्यादेश/राज्यों के विधेयक..... 15
9. **अप्रचलित विधियों का निरसन**..... 16
10. **पूर्व-विधायी परामर्श नीति**..... 17
11. **विधायी प्रस्तावों के निपटारे के लिए समय-सीमा**..... 17
    - मुख्य विधान..... 17
    - अधीनस्थ विधान..... 17
12. **स्वच्छता अभियान**..... 18
13. **प्ररुपों का सरलीकरण**..... 18

अध्याय 3 [आगामी कार्य योजना]..... 19

14. **विधायी विभाग की भावी कार्य योजना**..... 19

उपाबंध-1 विषय -वस्तु 2 से संबंधित) 21

उपाबंध-2 और 3 विषय -वस्तु 5 से संबंधित)..... 23-24

उपाबंध-4 विषय -वस्तु 7 से संबंधित) 25

अध्याय 1

पृष्ठभूमि और कृत्य

1. पृष्ठभूमि

1.1 विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, 1833 से भी पहले का, जब चार्टर अधिनियम, 1833 को ब्रिटिश संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत सरकार का प्राचीनतम अंग है । पहली बार उक्त अधिनियम ने एकल प्राधिकारी में अर्थात् सपरिषद् गवर्नर जनरल में विधायी शक्ति निहित की थी । इस प्राधिकार और भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के आधार पर सपरिषद् गवर्नर जनरल ने 1834 से 1920 तक देश के लिए विधियां अधिनियमित की थीं । तारीख 8 फरवरी, 1869 के संकल्प द्वारा तत्कालीन विद्यमान गृह कार्यालय और विधायी विभाग के बीच संबंध पृथक् हो गया था और विधायी विभाग जो गृह कार्यालय की एक शाखा थी, 10 फरवरी, 1869 से एक पृथक् विभाग बन गया था ।

1.2 भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रारंभ के पश्चात्, विधायी शक्ति उसके अधीन गठित भारतीय विधान-मंडल द्वारा प्रयोग की गई थी । भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित किए जाने के साथ ही भारत एक अधिक्षेत्र बना और अधिक्षेत्र विधान-मंडल ने भारत अनंतिम संविधान) आदेश 1947 द्वारा यथानुकूलित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन, वर्ष 1947 से 1949 तक विधियां बनाईं । भारत के संविधान के अधीन, जो 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ था, विधायी शक्ति, संसद् और राज्य विधान-मंडलों में निहित है ।

2. संगठनात्मक गठन

2.1 विधायी विभाग का प्रधान, भारत सरकार का सचिव होता है । वह भारत सरकार के सभी विधायी कारबार के लिए मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करता है । वह मुख्य विधानों से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है । उसकी विभिन्न स्तर के ऐसे अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है जिनमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी और सहायक विधायी परामर्शी सम्मिलित हैं । इन अधिकारियों की

भर्ती और सेवा की शर्तें, भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 द्वारा विनियमित की जाती हैं ।

2.2 विधायी विभाग में, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन सहित विधायी परामर्शियों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की मंजूर पद संख्या उपाबंध 1 के रूप में है ।

3. <u>कृत्य</u>

3.1 जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग, मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है । यह विभाग, विभिन्न प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों पर सुगम तथा त्वरित रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करता है ।

3.2 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के कारण विधायी विभाग, निम्नलिखित विषयों से संबंधित है अर्थात् :-

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों के प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना ;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद् में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना और उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में सभी विधेयकों का अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में, पाठ, लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय को भेजना ; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूपण करना ; गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य है या नहीं ;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक, जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद् और उसकी स्थायी /संयुक्त/ चयन समितियों की सहायता करना । इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उनको तैयार करने में सहायता करना ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हों, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना ;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना ;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, स्कीमों आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिन्दी में उनका अनुवाद करना ;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधानों की संवीक्षा करना, जिनके लिए संविधान के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना ;

(xi) संसद्, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन ;

(xii) संघ और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों के बीच निर्वाचनों में हुए व्यय का प्रभाजन ;

(xiii) निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ; निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त सेवा -शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन ;

(xv) निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त सेवा -शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय ;

(xvi) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य, सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान ;

(xviii) संघ/राज्य सरकारों के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(xix) संविधान, निर्वाचन निर्देशिका, केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का तथा हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना ;

(xx) विधि पत्रिकाओं जर्नलस) के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन करना ।

3.3 विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन उसका कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है । इसके दो अन्य खंड हैं, अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी है ।

3.4 विधायी विभाग का **राजभाषा खंड,** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपेक्षित संसद् में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए भी उत्तरदायी है । यह खंड प्राधिकृत पाठ केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथा अपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में संविधान, केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है । राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओँ के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे है, सहायता अनुदान भी जारी करता है ।

3.5 **विधि साहित्य प्रकाशन,** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के चयनित निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है । विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है । हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार और उनके विक्रय में अभिवृद्धि करने के लिए यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है ।

4. <u>विधान</u>

4.1 विधान, सरकार की नीति के विधायी निरुपण का एक मुख्य साधन है । इस संदर्भ में विधायी विभाग उन नीति संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका

निभाता है, जिनको सरकार विधानों के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है ।

(i) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है बल्कि यह उन विषयों के संबंध में जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधायी प्रस्ताव आरंभ करता है ।

(ii) विधायी विभाग, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करने के लिए उत्तरदायी है । सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषयों को, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के लिए और उनकी ओर से विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, मोटे तौर पर संविधान संशोधन) विधेयकों, सा मान्य विधेयकों के रूप में जिनके अंतर्गत वित्त और विनियोग विधेयक भी है, प्रवर्गीकृत किया सकेगा ।

4.2 1 जून, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान इस विभाग में, संसद् में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए नए विधायी प्रस्तावों से अंतर्वलित 125 टिप्पणों की समीक्षा की है । 1 जून, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद् के समक्ष लंबित विधेयकों में से 24 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए है । राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 के साथ संविधान निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 अभी हाल ही में अधिनियमित किए गए हैं । इस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची अध्याय 2 में दी गई है ।

4.3 उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा तैयार किए गए अधीनस्थ विधायी प्रस्तावों की संख्या 1657 है जिससे प्रत्येक मास के औसत पर लगभग 230 प्रस्ताव आते हैं ।

5. विधायी प्रारुपण में प्रशिक्षण

<u>विधायी प्रारुपण और अनुसंधान संस्थान वि.प्रा.अ.सं.)</u>

स्थापित : 1989		आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संस्थान

5.1 विधायी प्रारुपण केवल कला ही नहीं अपितु एक विद्या भी है और इसकी अपनी चुनौतियां हैं । इसमें सुनिश्चित तथा स्पष्ट भाषा में विधानों के प्रारूपण के लिए विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है । देश में प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारुपण और अनुसंधान संस्थान वि.प्रा.अ.सं.) की स्थापना की गई, जो विधायी प्रारुपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है । यह देश में एकमात्र संस्थान है, जो विधायी प्रारुपण का प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

वि.प्रा.अ.सं. का आईएसओ प्रमाणन

5.2 संस्थान में आईएसओ मानकों के अनुसार कार्य निष्पादित करने हेतु क्वालिटी प्रबंध प्रणाली का पालन करने के लिए वि.प्रा.अ.सं. को 2 दिसंबर, 2013 को आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन प्रदान किया गया । विधायी विभाग की प्रतिबद्धता के अनुसार, विभाग के परिणाम रूपरेखा दस्तावेज प.रू.द.) में आईएसओ प्रमाणन के प्रति कार्यों की पहल की गई थी ।

वि.प्रा.अ.सं. द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

5.3 वि.प्रा.अ.सं. द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं :

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के विधि अधिकारियों के लिए तीन मास की अवधि का विधायी प्रारुपण का बुनियादी पाठ्यक्रम ;

(ii) केंद्रीय सरकार के विभिन्न ऐसे मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों/ अधीनस्थ और स्वशासी निकायों, जो विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करते हैं या जिनके विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने की संभावना है, के अधिकारियों के लिए 15 दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम ;

(iii) ऐसे राज्य सरकारों के, जहां विधेयकों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों आदि का प्रारुपण हिन्दी में होता है, विधि अधिकारियों के लिए एक

मास की अवधि का हिन्दी में विधायी प्रारुपण का बुनियादी पाठ्यक्रम ;

(iv) विधायी विभाग के विधायी परामर्शियों के लाभ के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

5.4 वर्ष 2013-14 के दौरान, वि.प्रा.अ.सं. द्वारा पांच पाठ्यक्रम अर्थात् तीन मूल्यांकन पाठ्यक्रम 15वां, 16वां और 17वां मूल्यांकन पाठ्यक्रम) और 25वां और 26वां बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए गए । उपर्युक्त अवधि के दौरान वि.प्रा.अ.सं. द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के 78 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

5.5 हाल ही में, वि.प्रा.अ.सं. ने 10 नवंबर, 2014 से 10 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न राज्य सरकारों में विधायी प्रारुपण का कार्य करने वाले अधिकारियों के लाभ के लिए हिन्दी में एक विधायी प्रारुपण पाठ्यक्रम आयोजित किया था । वि.प्रा.अ.सं. के अस्तित्व में आने के पश्चात् 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, हिन्दी में विधायी प्रारुपण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया और देश में विधायी परामर्शियों के बंधुत्व के लिए उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं ।

वर्ष 1989 से 2014 तक, अधिकारियों की भागीदारिता को वर्षवार और पाठ्यक्रमवार दो चार्टों उपाबंध 2 और उपाबंध 3) में, प्रत्येक पाठ्यक्रम में उनकी भागीदारी की संख्या को दर्शाया गया है ।

5.6 वि.प्रा.अ.सं. ऐसे विधि छात्रों के लिए, जो विधि पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष में अपना अध्ययन कर रहे हैं और विधायी प्रारुपण में गहरी रुचि रखते हैं, अंत:प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाता है ।

5.7 विधायी विभाग ने वर्ष 2011-12 के लिए पहला परिणाम रुपरेखा दस्तावेज तैयार किया था और उसे प्रस्तुत किया था । विभाग ने वर्ष 2011-12 में परिणाम रुपरेखा दस्तावेज के अधीन अनुपालन के लिए 79.16 का संयुक्त स्कोर प्राप्त किया था । वर्ष 2013-14 के दौरान, 62.10 का संयुक्त स्कोर प्राप्त किया था । वर्ष 2014-15 का अनुपालन अभी मूल्यांकन के अधीन है ।

6. निर्वाचन

6.1 विधायी विभाग, संसद्, राज्य विधान-मंडलों और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संचालित करने के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

6.2 स्वतंत्रता के पश्चात् से ही, संविधान में प्रतिस्थापित सिद्धांतों और भारत में निर्वाचनों को शासित करने वाली विधियों के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं । संविधान ने संसद्, विधान-मंडलों और भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संचालित करने के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की संपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोग में निहित कर दी है ।

6.3 निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है । आरंभ में, निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था । वर्तमान में, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं । 16 अक्तूबर, 1989 को पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे किंतु उनका 1 जनवरी, 1990 तक का अल्प कार्यकाल था । बाद में, 1 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी । उसी समय से, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग कार्यरत है ।

6.4 निर्वाचन आयोग का, संसद् और राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों के निर्बाध संचालन से संबंधित कार्य के लिए उसका स्वतंत्र सचिवालय है । शासकीय स्वीकृतियां देने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्यों को विधायी विभाग को न्यस्त किया गया है ।

6.5 विधायी विभाग, लोक सभा साधारण निर्वाचन, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनके मुद्रण, संसद् राज्य सभा) के निर्वाचन के संचालन के लिए प्रभारों, मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने और इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों ईवीएम) पर व्य य तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों पर व्यय के मद्दे विधान-मंडल वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपगत व्यय का परिनिर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लोक सभा साधारण निर्वाचन 2014 से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को अनंतिम रूप से 350 करोड़ रु0 की रकम जारी की गई ।

6.6 निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे निर्वाचन व्यय की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए, जो लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी द्वारा उपगत किया जा सकता है, अधिसूचना सं0 का.आ.603अ), तारीख 28.02.2014 द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का संशोधन किया गया था ।

6.7 जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा उसके पत्र संख्या 287/84/2013-स्था.1/216 तारीख 04.07.2014 द्वारा सूचित किया गया है, 2014 में भारत में प्रसारित मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी) में 98.03% पुनरीक्षण के साथ पर्याप्त रूप से सुधार किया गया है ।

6.8 कीमत परक्रामण समिति द्वारा कीमत नियत करने के अधीन रहते हुए, 2013 में 545.36 करोड़ रुपए की अनंतिम कीमत पर 382876 बैलट यूनिट बीयू) और 251651 कंट्रोल यूनिट खरीदी गई हैं ।

6.9 निर्वाचन आयोग को मतदान में अधिक पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ईवीएम से जोड़ने हेतु एक प्रोटोटाइप प्रिंटर अर्थात् वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी) का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लि ए अधिसूचना सं0 का.आ.2470अ) तारीख 14 अगस्त, 2013 द्वारा र्निवाचनों का संचालन नियम, 1961 का संशोधन किया गया ।

6.10 1 मार्च, 2014 तक यथासंशोधित द्विभाषीय निर्वाचन विधि निदेर्शिका 2014) प्रत्येक नागरिक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, संसद् राज्य विधान मंडलों के सदस्यों तथा राजनैतिक दलों की सहायता के लिए एक ही स्थान पर निर्वाचनों से संबंधित संपूर्ण विधि को रखने के लिए दो जिल्दों में प्रकाशित की गई है ।

7. <u>हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का संर्वधन और प्रसार</u>

7.1 अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों आदि के प्राधिकृत पाठ का हिन्दी अनुवाद विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त, विधेयकों को संसद् के दोनों सदनों में अंग्रेजी और हिन्दी में पुर:स्थापित करना अपेक्षित है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संपूर्ण अधीनस्थ विधायन का हिन्दी अनुवाद विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा तैयार किया जाता है ।

7.2 राजभाषा खंड हिन्दी में विधि शब्दावली के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है । अंतिम बार हिन्दी में विधि शब्दावली वर्ष 2001 में प्रकाशित की गई थी । विधायी विभाग 65000 शब्दों वाली पुनरीक्षित विधि शब्दावली तैयार करने की प्रक्रिया में है । इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं । विधायी विभाग भारत के संविधान के पुनरीक्षित अद्यतन जेबी संस्करण तैयार करने की प्रक्रिया में है ।

7.3 विधायी विभाग का राजभाषा खंड संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 22 भाषाओं में से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर संघ

राज्यक्षेत्र[1] की राजभाषा उर्दू भी है, केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है ।

7.4 विधि के क्षेत्र में संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राजभाषाओं के संवर्धन के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । स्कीम के ब्यौरे **उपाबंध-4** में देखे जा सकते हैं ।

7.5 विधायी विभाग का विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में मूल रूप से प्रकाशित या लिखित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों मैन्यु ल और रैफरेंस के सिवाय) को प्रत्येक वर्ष 5,00,000/-रु0 तक का पुरुस्कार देता है ।

[1] "राज्य" शब्द के स्थान पर "31-10-2019 से "संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे गए ।

अध्याय 2

उपलब्धियां

8. विधायी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

8.1 1 जून, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान विधायी विभाग ने निम्नलिखित 24 महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारूपण किया, जो संसद् द्वारा अधिनियमित किए गए ।

क्र0 सं0	नाम और अधिनियम संख्यांक
1.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 **(2014 का 18)**
2.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 19)**
3.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 20)**
4.	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2014 **(2014 का 21)**
5.	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2014 **(2014 का 22)**
6.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 **(2014 का 23)**
7.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2014 **(2014 का 24)**
8.	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 **(2014 का 25)**
9.	दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 **(2014 का 26)**
10.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 27)**
11.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 28)**
12.	शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 29)**
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 **(2014 का 30)**
14.	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 31)**
15.	वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 32)**
16.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2014 **(2014 का 33)**
17.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का**

	34)
18.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 35)**
19.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 **(2014 का 36)**
20.	योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 **(2014 का 37)**
21.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2014 **(2014 का 38)**
22.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 **(2014 का 39)**
23.	संविधान (निन्यानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2014
24.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 **(2014 का 40)**

8.2 संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित किए गए :

क्र0 सं0	**नाम और अध्यादेश संख्यांक**
1.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 3)**
2.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 4)**
3.	कोयला खान (विशेष उपबंध) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 5)**
4.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 6)**
5.	कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन **अध्यादेश, 2014 (2014 का 7)**
6.	बीमा विधि (संशोधन) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 8)**
7.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) **अध्यादेश, 2014 (2014 का 9)**

8.3 राष्ट्रपति की अनुमति की ईप्सा से निम्नलिखित अध्यादेश संबंधित विभागों/मंत्रालयों को दिए गए :

1.	माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2014
2.	नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2014
3.	मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2014
4.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अध्यादेश, 2014

8.4 विभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारूपण किया गया, जो संसद् में लंबित हैं :

क्र0 सं0	**नाम**
1.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2014 (36 अधिनियमों का निरसन करना)
2.	निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 (90 अधिनियमों का निरसन करना)
3.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014
4.	रेल (संशोधन) विधेयक, 2014
5.	कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
6.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2014
7.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014
8.	यान-हरण निवारण विधेयक, 2014
9.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014
10.	लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
11.	कंपनी संशोधन) विधेयक, 2014
12.	विद्युत संशोधन) विधेयक, 2014
13.	संविधान एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

8.5 इस विभाग ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यों के राज्यपाल द्वारा आरक्षित समवर्ती विषयों से संबंधित 23 राज्य विधेयकों/अध्यादेशों की संवीक्षा की ।

9. <u>अप्रचलित विधियों का निरसन</u>

9.1 विधायी विभाग ने, सरकारी संकल्प के रूप में, अप्रचलित और अनावश्यक विधियों के निरसन के लिए पहचान करने की पहल की और क्रमशः 36 और 90 अधिनियमों के निरसन के लिए संसद् में दो विधेयक पुरःस्थापित किए । इस संकल्प के पीछे उद्देश्य यह है कि देश के नागरिकों से उनके ऐसे कानूनों से सुपरिचित होने की प्रत्याशा की जाए जो उनके जीवन और कार्य से सुसंगत हैं और विधियों का देश की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के साथ सामंजस्य भी बना रहे ।

9.2 विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से 197 संशोधन अधिनियमों की, उनके निरसन हेतु परीक्षा की जा रही है ।

9.3 विभाग ने "अप्रचलित विधि : तत्काल निरसन के लिए समर्थित" से संबंधित विधि आयोग की चौथी अंतरिम रिपोर्ट (248 से 251 तक) को, जिसमें उसने क्रमशः 72, 113, 74 और 30 अप्रचलित अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी, प्रक्रियागत किया है ।

9.4 विभाग ने रेल विनियोग अधिनियमों और राज्य विनियोग अधिनियमों सहित 902 विनियोग अधिनियमों की एक सूची तैयार की है और राज्य विनियोग अधिनियमों के निरसन पर विद्वान महाधिवक्ता की राय की ईप्सा की है ।

9.5 विभाग रामानुजम समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है । विभाग ने अधिनियमितियों की पहचान करने के लिए अधिकारियों के एक समर्पित समूह का गठन किया है और उन्होंने मोटे तौर पर अधिनियमितियों को निम्नलिखित में प्रवृर्गीकृत किया है :

(i) संसद् द्वारा निरसित किए जाने वाले 637 अधिनियम ;

(ii) राज्य विधान मंडलो द्वारा निरसित किए जाने वाले 84 अधिनियम ;

(iii) राज्य सरकारों के परामर्श से संसद् द्वारा निरसित किए जाने वाले 58 अधिनियम ; और

(iv) गृह मंत्रालय के परामर्श से राज्य पुनगर्ठनों से संबंधित 28 अधिनियम ।

10. <u>पूर्व-विधायी परामर्श नीति</u>

10.1 नीति और विधान के विरचन में लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विधायी विभाग ने पूर्व-विधायी परामर्श पर एक नीति विरचित की है । इस नीति में ऐसे टिप्पणों/सुझावों के लिए प्रस्तावित विधानों को सार्वजनिक परिपेक्ष में रखना अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :

(i) विधान के लिए न्यायोचित्यता ;

(ii) ऐसे विधान व्यापक वित्तीय विवक्षा ;

(iii) पर्यावरण, मूल अधिकारों, आदि पर ऐसे विधान के प्रभाव का प्राक्कलित निर्धारण ।

10.2 इस प्रक्रिया में किसी विधान को तैयार करने से पूर्व सामाजिक और वित्तीय लागतों, फायदों और मुख्य चुनौतियों का अध्ययन अंतवर्लित है । इस नीति के ब्यौरे विधायी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

11. <u>विधायी प्रस्तावों के निपटारे के लिए समय सीमा</u>

विधायी प्रस्तावों के निपटारें के लिए निम्नलिखित समय सीमा अधिकथित की गई है :

मुख्य विधान:

विधेयकों का प्रवर्ग	खंडों की संख्या	नियत समय विरचना प्राप्ति की तारीख से)
लघु विधेयक	25 खंडों से कम	30 दिन के भीतर
मध्यम विधेयक	25 खंड से अधिक और 50 खंड से कम	45 दिन के भीतर
विस्तृत विधेयक	50 खंडों से अधिक	60 दिन के भीतर

अधीनस्थ विधान:

प्रस्ताव का प्रवर्ग	**नियत समय सीमा प्राप्ति की तारीख से)**
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के	उसमें कमी या अपेक्षित जानकारी को दर्शित

बिना भेजी गई अपूर्ण फाइलें ; राजपत्र अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों और पत्रों को संलग्न नहीं करना ; या प्रारूपण मुद्दों को तय करने के लिए और जानकारी/चर्चा की अपेक्षा ।	करते हुए एक टिप्पण लेखबद्ध करके 3 कार्य दिवसों के भीतर वापस करना ।
जहां और जानकारी/दस्तावेज अपेक्षित नहीं है ।	कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए अंतवर्लित संवीक्षा तथा विधीक्षा दो सप्ताह की अवधि के भीतर की जाए ।
नियम/विनियम/उपविधि आदि अंतर्विष्ट करने वाले प्रस्ताव ।	तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाए तीन सप्ता ह से अधिक समय की अपेक्षा वाले किसी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए निरपवाद रूप से अपर सचिव को दिखाया जाए)

12. <u>स्वच्छता अभियान</u>

(i) स्वच्छ भारत अभियान के भाग रूप में विधायी विभाग के परिसर में स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है । माननीय विधि और न्याय मंत्री ने शास्त्री भवन परिसर में चार पौधे रोपित करके तथा परिसर की सफाई करके अभियान का शुभारंभ किया ।

(ii) पुराने अभिलेखों का निपटान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और इन अभिलेखों को बनाए रखने की अवधि के अवसान पर 4670 फाइलों/अभिलेखों का निपटान किया गया । इसके अतिरिक्त बनाए रखने के लिए 1095 फाइलें अभिलेखबद्ध की गईं ।

(iii) विधायी विभाग में कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है ।

13. <u>प्ररूपों का सरलीकरण</u>

(i) विधायी विभाग में प्रचलित प्ररूपों को सरल बनाया गया है तथा इनमें से अधिकतर प्ररूपों केा घटाकर केवल एक पृष्ठ का कर दिया गया है जिसमें केवल आवश्यक ब्यौरे अपेक्षित हैं जैसे इंटर्नशिप प्ररूप, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों से संबंधित प्ररूप, राजभाषा खंड द्वारा वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए प्ररूप ।

अध्याय -3

आगामी कार्य योजना

14. <u>विधायी विभाग की भावी कार्य योजना</u>

14.1. विभिन्न मंत्रालयों /विभागों से निम्नलिखित विधायी प्रस्तावों से संबंधित विधेयक तैयार किए गए है और संसद में उनके पुर:स्थापन के लिए प्रक्रिया की जाएगी ।

1. राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन और सहबद्ध अध्ययन संस्थान विधेयक, 2014
2. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन
3. संविधान अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन) विधेयक, 2014
4. सेवा और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2014
5. अन्तर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का संशोधन
6. रेल संशोधन) विधेयक, 2014
7. विमानवहन संशोधन) विधेयक, 2014
8. नई चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता विधेयक, 2014
9. भांडागारण निगम संशोधन) विधेयक, 2014
10. संसद, सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का संशोधन
11. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का संशोधन
12. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014
13. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन) विधेयक, 2014

14.2 विभाग ने राज्य सभा में लंबित असम विधान परिषद विधेयक, 2013 और तमिलनाडु विधान परिषद् निरसन) विधेयक, 2012 को आगे बढाने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया आरंभ कर दी है ।

14.3. औसतन, विधायी विभाग को प्रत्येक मास लगभग 230 अधीनस्थ विधान प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिनकी संवीक्षा और विधीक्षा समयबद्ध रीति से और कई बार उसी दिन ही कर दी जाती है ।

14.4. वर्तमान में, संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विषयों पर विधि आयोग की 36 रिपोर्टों की राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समीक्षा की जा रही है ।

14.5. विधायी विभाग की वेबसाइट पर केन्द्रीय अधिनियमों को अपलोड करने की प्रक्रिया, 1996 में आरंभ हुई थी जबकि पश्चस्वतंत्रता युग के सभी अधिनियम अर्थात् 1950 से आगे के, वेबसाइट पर डाल दिए गए थे । तत्पश्चात्, वर्ष 2012 में पूर्व स्वतंत्रता युग अर्थात, 1836 से 1950 तक के सभी 350 अधिनियम, वेबसाइट पर डाल दिए गए थे । विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई विधियों को अद्यतन करने के लिए पहल की है ।

14.6. विभाग, निर्वाचन विधियों और निर्वाचन आयोग के लिए प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार है । निर्वाचन सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, सभी पणधारियों और राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करके प्रस्ताव की पूर्विकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी ।

14.7. विभाग, निर्वाचन विधियों से संबंधित उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1 अक्तूबर, 2014 तक लंबित 218 मामलों को प्रभावी रूप से मानीटर कर रहा है । इन 218 मामलों में से, विभाग, 137 मामलों में प्रत्यर्थी है और शेष 81 मामलों में प्रोफार्मा पक्षकार है ।

उपाबंध -1

विधायी विभाग में विधायी परामर्शी

पद नाम	स्वीकृत संख्या	पदस्थ	रिक्त
सचिव	1	1	-
अपर सचिव	2	1	1
संयुक्त और विधायी परामर्शी	5	4	1
अपर विधायी परामर्शी	4	4	-
उप विधायी परामर्शी	9	6	3
सहायक विधायी परामर्शी	13	8	5
कुल	**34**	**24**	**10**

विधायी विभाग, जिसके अन्तर्गत राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन भी है, की समूह वार कर्मचारिवृंद की स्थिति

समूह	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां
समूह 'क'	89	62	27
समूह 'ख'	158	98	60
समूह 'ग'	189	135	54
कुल	436	295	141

खंड वार विधायी विभाग की समूहवार कर्मचारिवृंद की स्थिति

समूह	स्वीकृत पद संख्या	पदस्थ व्यक्ति	रिक्तियां
समूह 'क' वि.वि. मुख्य)	47	32	15
समूह 'क' रा.भा. खंड	29	22	7
समूह 'क' वि.सा.प्र.	13	8	5
कुल : समूह 'क'	**89**	**62**	**27**
समूह 'ख' वि.वि. मुख्य)	89	52	37
समूह 'ख' रा.भा. खंड	38	26	12
समूह 'ख' वि.सा.प्र.	31	20	11
कुल : समूह 'ख'	**158**	**98**	**60**
समूह 'ग' वि.वि. मुख्य)	97	65	32
समूह 'ग' रा.भा. खंड	56	40	16
समूह 'ग' वि.सा.प्र.	36	30	6
कुल : समूह 'ग'	**189**	**135**	**54**

उपाबंध - 2

चार्ट -1

1989 से 2014 तक बुनियादि पाठयक्रम में भाग लेने वाले अधिकारी

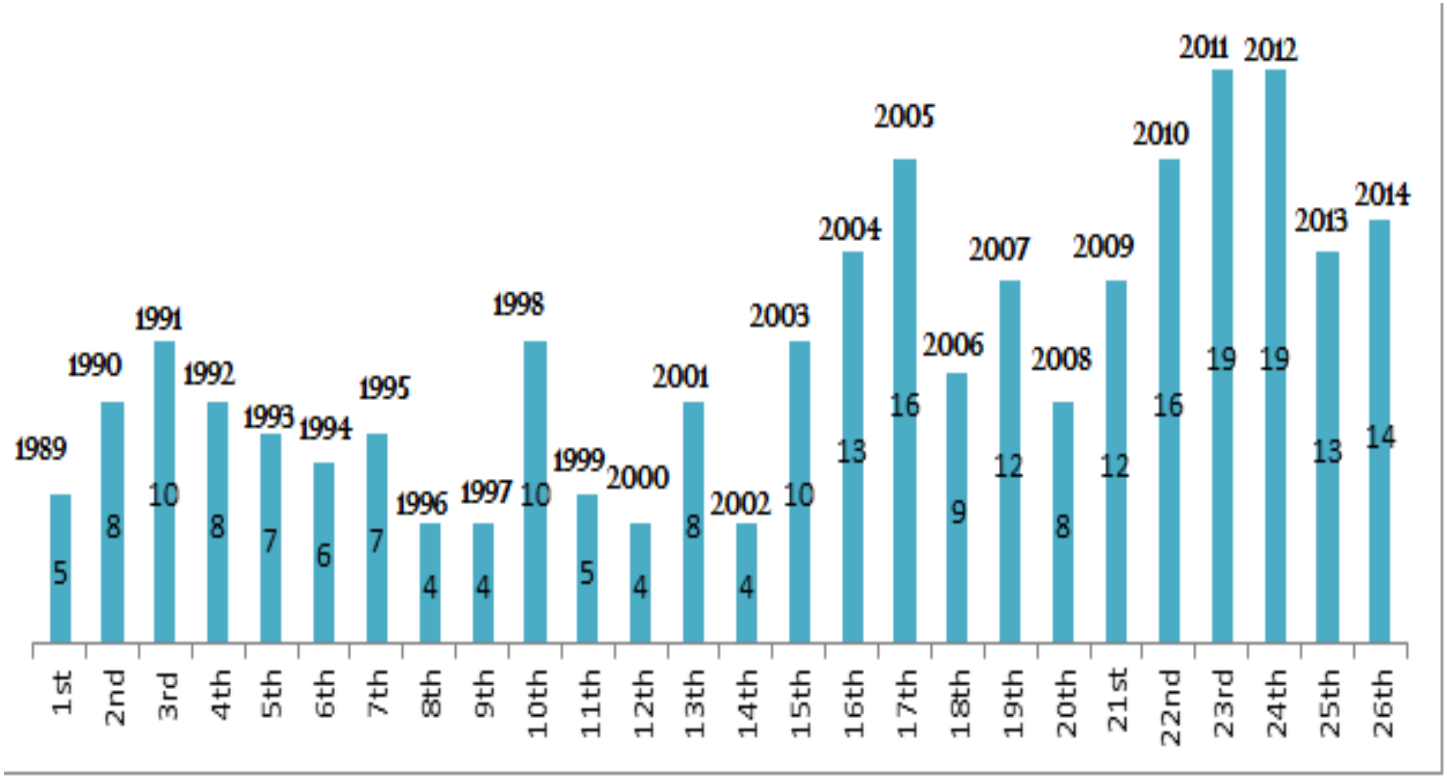

<u>उपाबंध - 3</u>

चार्ट - 2

1989 से 2014 तक मूल्यांकन पाठयक्रम में भाग लेने वाले अधिकारी

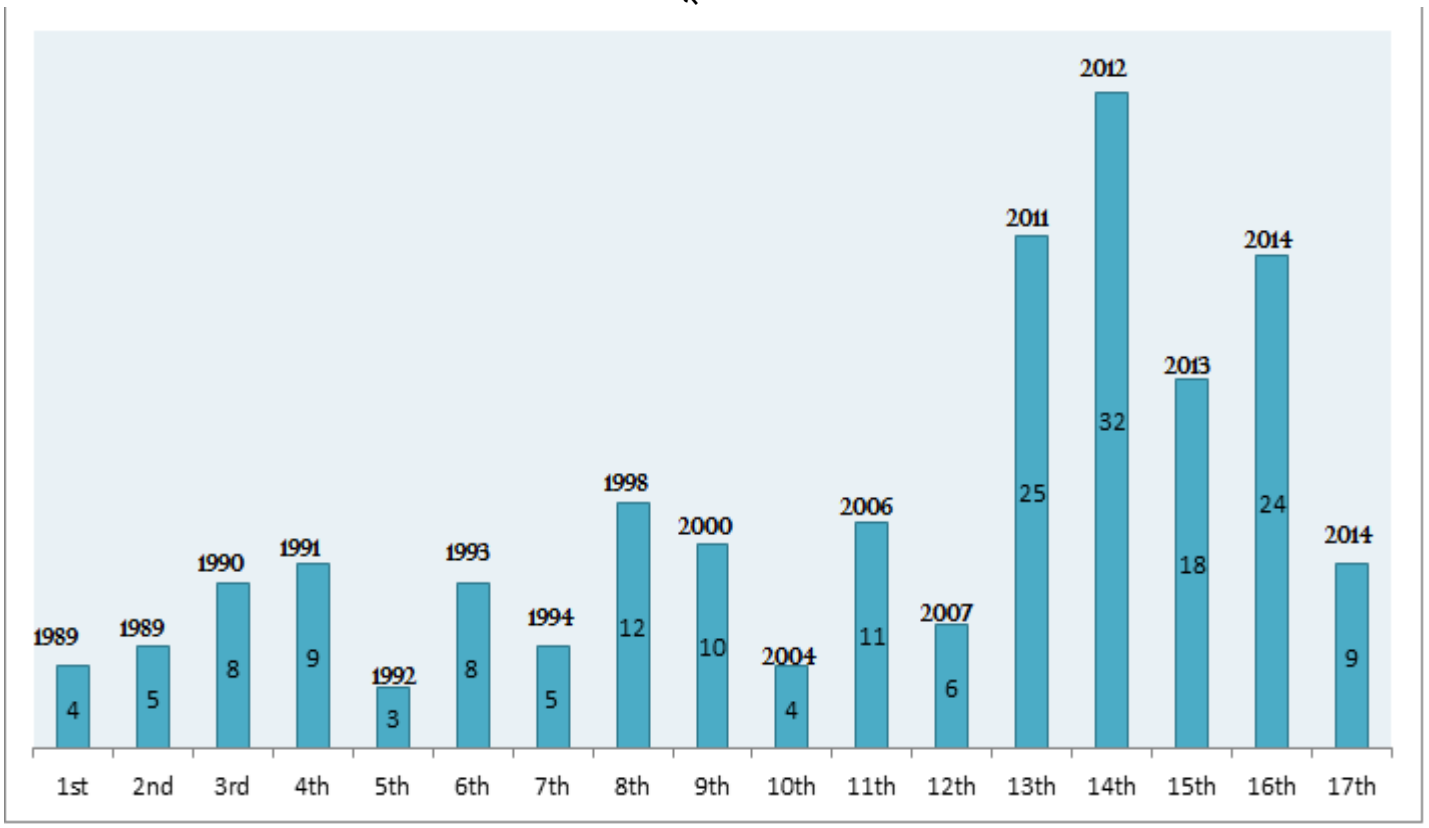

<u>उपाबंध - 4</u>

विधि के क्षेत्र में राजभाषा की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

प्रारंभिक । 1. भारत सरकार, विधायी विभाग ने विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम बनाई है ।

संक्षिप्त नाम । 2. इस स्कीम का नाम "विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं" की उन्नति के लिए स्कीम है ।

प्रविषय । 3. अनुदान विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य के विकास और प्रचार के लिए परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए अनुज्ञेय होंगे । ये विधिक विषयों पर प्रस्तावित टीकाओं, ग्रंथों, विद्वतापूर्ण पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं, विधि सार संग्रहों और ऐसे अन्य प्रकाशनों के रूप में हो सकेंगे जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं की अनुवृद्धि, प्रचार, विकास और प्रयोग के लिए सहायक हों ।

सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी । समिति निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों से मिलकर बनेगी-

1. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदासीन न्यायाधीश,
2. अधिवक्ता, जो विधिज्ञों में प्रतिष्ठित हो,
3. किसी विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विधि का आचार्य (प्रोफेसर)
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

संयुक्त सचिव समिति का सचिव होगा । नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति, केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विधि के ज्ञान के अतिरिक्त संबंधित भाषा का भी अच्छा ज्ञान हो ।

समिति संबंधित संगठन को स्कीम में उपयुक्त परिवर्तन या उपांतरण करने का परामर्श भी दे सकेगी ।

सहायता की मात्रा ।

4. वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, कमरा सं. 742, 7वां तल, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे । वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदनों पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा और अनुदान केवल अनुमोदित कार्य-मदों के लिए मंजूर किए जांएगे । मंजूर किया गया अनुदान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यकलापों/प्रयोजनों आदि के कार्यान्वयन में होने वाले प्रत्याशित शुद्ध व्यय के प्रतिशत के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पणः- “प्रत्याशित शुद्ध व्यय” से उत्पादित साहित्य के विकास से प्रत्याशित प्राप्तियों को घटाने के पश्चात् कुल प्रत्याशित व्यय अभिप्रेत अनुदानों का संदाय किए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति और कार्यों की प्रगति के आधार पर और किश्तों में किया जाएगा ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ।

5. आवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्श, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, करने की विधि और न्याय मंत्रालय, कमरा सं. 742, 7वां तल, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं । प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज

होंगे-

i) संगठन के उद्देश्यों और कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण,

(ii) संगठन रजिस्ट्रीकृत संगठन है या नहीं,

(iii) अंतिम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट,

(iv) पिछले एक वित्तीय वर्ष के लिए संगठन के लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति और अंतिम तुलनपत्र की एक प्रति,

(v) प्रबंध मंडल के शासी निकाय का गठन,

(vi) उस वर्ष की बाबत आय और व्यय का प्राक्कलन जिसके लिए आवेदन गया है,

(vii) राज्य सरकार या अन्य निकायों से अब तक प्राप्त अनुदानों का विवरण, प्रत्येक मामले में यह उपदर्शित किया जाए कि (क) वह प्रयोजन क्या था जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया था, (ख) उसका कैसे और कब उपयोग किया गया, (ग) उस दिशा में क्या प्रगति हुई जिसके लिए सहायता दी गई थी, और (घ) क्या पूर्ववर्ती सहायता से संलग्न सभी शर्तों का सम्यक रूप से पालन किया गया था,

(viii) विचाराधीन स्कीमों के वास्ते अनुदानों के लिए अन्य राज्य सरकारों या निकायों को, यदि कोई हैं, किए गए निवेदन से संबंधित जानकारी, उन सरकारों और निकायों के ऐसे निवेदनों पर विनिश्चय संसूचित किए जाने चाहिए,

(ix) यह वचनबंध कि एक बार किसी परियोजना/स्कीम आदि के प्राक्कलन आदि युक्तियुक्त मानक अनुमोदित कर दिए जाने और उन

प्राक्कलनों के आधार पर अनुदान निर्धारित किए जाने पर संगठन, विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना, उनमें उपांतरण नहीं करेगा,

(x) प्राक्कलित व्यय का पूर्ण औचित्य,

(xi) नई प्रकाशित कृतियों के लिए निवेदन की दशा में पांडुलिपि की प्रति, लेखक के ऐसे प्रमाणपत्र के साथ जिसमें संस्था को प्रकाशन हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, जांच के लिए दी जाए,

(xii) पहले आवेदन के साथ संस्थाओं के पूर्ववर्ती प्रकाशन भेजे जाने चाहिए और पश्चात् वर्ती निवेदनों की दशा में वे प्रकाशन भेजे जाने चाहिए जो अंतरिम अवधि के दौरान प्रकाशित किए गए हों,

(xiii) अनुदानों की सहायता से हाथ में ली जाने वाली परियोजना स्कीम आदि पर नियोजित कर्मचारियों की अर्हताओं, अनुभव का विवरण ।

6. संगठनों के लिए मंजूर किए गए अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगेः-

(1) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का कोई अधिकारी या भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग का कोई अधिकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) संगठन अनुदान का धन प्राप्त करने से पूर्व यह बचनबंध करेगा कि उसकी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना या स्कीम सरकार द्वारा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर पूरी की जाएगी और अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह मंजूर किया गया है । ऐसा करने में असफल रहने पर सगंठन अनुदान की पूरी रकम, उस पर ब्याज सहित जो

केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, सरकार को वापस करने का दायी होगा ।

(3) किश्तों में संदेय अनुदान की किसी पश्चात् वर्ती किश्त का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती किश्त के अधिकांश भाग का उपयोग न कर लिया गया हो और लेखा-परीक्षित लेखाओं का विवरण, पूर्ववर्ती किश्त की सहायता से किए गए कार्य की रिपोर्ट सहित, किश्त जारी करने के निवेदन के साथ न दिया गया हो, क्योंकि उसका उन्मोचन केवल तभी किया जाएगा जब कार्य की समाधानप्रद प्रगति के बारे में विधायी विभाग का समाधान हो जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सहायता से निकाले गए सभी प्रकाशनों की उतनी प्रतियां, जो पांच से अधिक नहीं होंगी जिनका विनिश्चय विधायी विभाग करे, विधायी विभाग को नःशुल्क प्रदत्त की जाएंगी ।

(5) संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की सहायता पूर्णतः या सारतः अर्जित या सृजित आस्तियों का लेखा-परीक्षित अभिलेख विहित प्रोफार्मा में देगा और उसकी प्रति विनिर्दिष्ट तारीख तक या युक्तियुक्त समय के भीतर अभिलेख के लिए विधायी विभाग को देगा । इस प्रकार की आस्तियों का व्ययन, विल्लंगम या उपयोग, विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए अनुदान दिया गया है ।

(6) संगठन के लेखाओं को समुचित रुप से रखा जाना चाहिए और जब कभी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किया जाऩा चाहिए । इन लेखाओं की विधायी विभाग कभी भी जांच कर सकेगा ।

(7) संगठन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन संगठन द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुदान की बाबत एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(8) जब विधायी विभाग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि संगठन के कार्यकलापों का प्रबंध समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है या कि मंजूर किए गए धन का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है तब अनुदान का संदाय रोका जा सकेगा ।

(9) पुस्तक का लेखक साधारणतः, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी पाठों में प्रयुक्त हिंदी की विधि शब्दावली का प्रयोग करेगा । पुस्तक में समान या समरुप पदों के लिए राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में दिए गए हिंदी के विधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा । जहां अधिनियमितियों के पाठों को उद्धृत किया जाना है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियमों के हिंदी पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए । निर्णयों के प्रति निर्देश और उनसे उद्धरणों को, यथासंभव दो हिंदी विधि रिपोर्टों, अर्थात "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" से लिया जाएगा, जो विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती हैं । ये अनुदेश हिंदी से भिन्न राजभाषाओं के संबंध में भी, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

(10) संगठन पर यह आबद्धकर होगा कि वह उस कार्य के संबंध में जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया है, विधायी विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों और सुझावों को कार्यान्वित करे । संगठन विधायी विभाग को किसी विषय पर ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा, जिसकी विधायी विभाग द्वारा अपेक्षा की जाए ।